"आवश्यक"

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)125/संस्था/बीमा/2019/ दिनांक : 21-05-2019

–:आदेश:– 64

वित्त(नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1 (6) वित्त/नियम/2011 दिनांक 22.05.2018 एवं ज्ञापन दिनांक 10.09.2018 द्वारा राजस्थान सेवा नियम, 103 सी के अन्तर्गत चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्रायः यह देखा गया है कि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संभागीय अधिकारियों द्वारा महिला कर्मचारियों को "चाईल्ड केयर लीव" उक्त प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखते हुए अन्य अनुचित कारणों पर भी अवकाश स्वीकृत किये जा रहे हैं एवं राज्य सरकार की अधिसूचना में उल्लेखित निर्देशों की अवहेलना की जा रही है।

अतः सभी कार्यालयाध्यक्षों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उनके अधीन पदस्थापित महिला कर्मचारियों के द्वारा चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत करने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ वांछित कारणों के संबंध में दस्तावेज प्राप्त करते हुए उक्त अधिसूचना की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें। यदि नियमों के विपरीत कोई प्रकरण स्वीकृत किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

वित्त (नियम) विभाग के उक्त ज्ञापन दिनांक 10.09.2018 की बिन्दु संख्या 5 के मद्देनजर समस्त राजपत्रित अधिकारियों के चाईल्ड केयर लीव के प्रकरण विभागाध्यक्ष स्तर पर अनुमोदन पश्चात् ही स्वीकृत किये जा सकेंगे।

कृपया उक्तानुसार निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे।

(आनन्द स्वरूप),
निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(ए)125/संस्था/बीमा/2019/2158-2208 दिनांक : 21-05-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर/साधारण बीमा योजना/संभागीय कार्यालय/जिला कार्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करने का श्रम करें।
3. सिस्टम्स एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट http:/sipf.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
4. नोटस बोर्ड मुख्यालय/जिला कार्यालय
5. रक्षित पत्रावली

21/5/19
(के.एम.दूडियां),
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

D:\shailesh\2019\F(1)A\125\order 17-05-2019.docx